To Increase Old Age Pension

- 371. SHRI BALRAJ KUNDU, M.L.A: Will the Minister of State for Social Justice and Empowerment be pleased to state:
 - a) the time by which old age pension in State is likely be increased up to Rs. 5100; and
 - b) whether it is a fact that the process of getting a new old age pension is very complicated due to which many of our elders in the State are deprived of their pension together with the efforts made by the Government to overcome these complications alongwith the time by which said problem is likely to be solved?

OM PRAKASH YADAV

MINISTER OF STATE FOR SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

Sir, the reply is as under:-

- a) At present, no such time limit has been fixed.
- b) The process of getting new old age pension is very simple. Applicant can download the application form for Old Age Samman Allowance from the website www.socialjusticehry.nic.in or can get the form from the office of District Social Welfare Officer of the concerned District. Applicant can upload the form from CSC/Antodya Bhawan/Antodya Kendra or from his home and apply for Old Age Samman Allowance along with necessary documents. After that concerned DSWO checks/verifies the uploaded documents with original documents produced. DSWO then sanctions the pension and after sanctioning of the case, allowance is paid regularly on monthly basis to the beneficiaries. Time limit for sanctioning the new case of Old Age Samman Allowance is 60 days as per RTS Act Haryana.

वृद्धावस्था पैंशन को बढ़ाना

- 371 श्री बलराज कुंडू ,एम०एल०ए०: क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृपया बताएंगे कि:-
 - राज्य में वृद्धावस्था पेंशन को 5100 रूपये तक कब तक बढ़ाए जाने की संभावना क)
 - क्या यह तथ्य है नई वृद्धावस्था पेंशन पाने की प्रक्रिया बहुत जटिल के कारण ख) राज्य में हमारे कई बुजुर्ग अपनी पेंशन से वंचित है तथा इन जटिलताओं का दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए तथा उक्त समस्या का समाधान कब तक किए जाने की संभावना है?

राज्य मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ओम प्रकाश यादव

महोदय,

- वर्तमान में ऐसी कोई समय सीमा तय नहीं है। क)
- ख) वृद्धावस्था पैंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत आवेदक विभाग की वेबसाईट <u>www.socialjusticehry.nic.in</u> सम्मान भत्ता के लिए आवेदन फार्म डाउनलोड कर सकते है या फार्म संबंधित जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर सकता है। आवेदक फार्म सीएससी / अंत्योदया भवन / अंत्योदया केन्द्र या अपने घर पर भी अपलोड कर सकता है, और आवश्यक दस्तावेजों के साथ वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए आवेदन कर सकता है। तदोपरान्त सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी अपलोड किये गये दस्तावेजों को मूल प्रस्तुत दस्तावेजों से चैक / सत्यापित करता है, उसके पश्चात जिला समाज कल्याण अधिकारी पेंशन स्वीकृत करता है और केस की स्वीकृति के पश्चात्, लाभार्थियों को प्रतिमाह लगातार पैंशन भत्ता दिया जाता है। आर0टी0एस0 एक्ट हरियाणा के तहत वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के नये केसों को स्वीकृत करने की समय सीमा 60 दिन निर्धारित की गई है।